103

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर {सर्किट कोर्ट रीवा} जिला रीवा म•प्र•

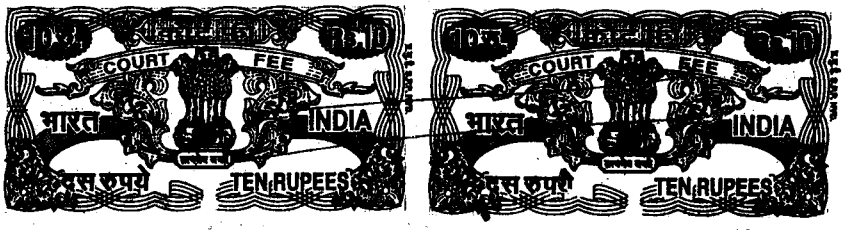

Rs.20/-

224
27.6.15

निगरानी 2406-II-15

1- बैजनाथ पिता स्व•महावीर पटेल
2- रामलाल पटेल | पुत्रगण स्व•श्री रामरूप पटेल
3- श्यामलाल पटेल |
सभी निवासीग्रामजल्दर तह०गुढ़ जिला रीवाम•प्र•

....निगरानीकर्तागण

वनाम

1- रामप्रसाद पिता अवधशरण द्विवेदी
2- रामचन्द्र द्विवेदी पिता श्री अवधशरण द्विवेदी
3- कृष्णचन्द्र पिता अवधशरण द्विवेदी
सभी निवासी ग्राम बांधी तह०गुढ़ जिला रीवाम•प्र•

...गैरनिगरानीकर्तागण/प्रत्यार्थीगण

श्री ...... पाठक ...... द्वारा आज दिनांक 27-6-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण/निगरानी विरूद्ध म्याद अधिनियम 1963 ई• की धारा 5 के आवेदन पत्र पर पारित आदेश दिनांक 27-4-2015 प्र•क्र• 101/अ6/2013-14 द्वारा पारित अधीनस्थ न्याया० श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील गुढ़ जिला रीवाम•प्र•

क्रमांक..............................
रजिस्टर्ड पोस्ट ... आज
दिनांक.................को प्राप्त

क्लर्क ऑफ मान्यवर
राजस्व मण्डल ग्वालियर

अंतर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•सं• 1959 ई•

पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

{1} यह कि अधीनस्थ न्यायालयद्वारा म्याद आवेदन पत्र पर पारित आदेश दिनांक 27-4-2015 प्र•क्र• 101/अ6/2013-14 विधि प्रक्रिया के विरूद्ध एवं अधिकारिता रहित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

{2} यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसीलगुढ़ के समक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2406–दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुढ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 101/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 27–4–2015 को अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के हितबद्ध पक्षकार मानते हुये म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन आदेश से मात्र अपील को समय–सीमा में माना है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0ऐस0 अली) सदस्य	